कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 257/11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ दिनांकः अगस्त 07, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/149, दिनांक 04.07.2019, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–94/81–2–2019–800(118)/2017, दिनांक 19.07.2019

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त विषयगत प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक–02.07.2019 के क्रम में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयॉकित प्रकरण में वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक–587/मी0क्षे0/33, दिनांक 03.08.2019 के द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जोकि निम्न प्रकार से है :–

Sl. No.	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक–02.07.2019 के द्वारा वांछित सूचना	आख्या
1	2	3
(a)	Detailed compliance of the conditions/ recommendation of the committee on different components of the Terms of Reference for transfer of Forest land to the Irrigation Department for purpose of said Irrigation Project have not been submitted by the state government as well as Project Proponent.	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित अभिलेख पूर्व में प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न है।
(b)	Proposal of Compensatory Afforestation on equivalent Non-Forest land against diversion of proposed 127.1637 ha of forest land for canals and subsidiary canals have been submitted by the state government . However, Compliance on issues regarding raising CA on balance 1295 hectare and enrichment planting as recommended by Committee with reference to the order of Hon'ble NGT regarding above said Irrigation project is still awaited.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

Acy-1627

मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 03.08.2019 के साथ प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट का पत्रांक–471/रेनुकूट/15–117, दिनांक 02.08.2019 संलग्न कर प्रेषित किया है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रस्तावक विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 31.07.2019 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया गया। सम्पर्क करने पर यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में केवल वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दे। दिनांक 08.08.2019 को क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर.ई.सी.) की बैठक प्रस्तावित है। प्रस्तावित बैठक में वांछित धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया जायेगा।

अतः मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित, बिन्दुवार सूचना/अभिलेख दो–दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–   /11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1628